केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

संचिका सं.**CICOM/R/2018/00567** दिनांक 01.06.2018

सेवा में,

श्री शाह नवाज खान,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 28.05.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 30.05.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 134376) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 01.06.2018 को प्राप्त हुआ, से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1, 2 एवं 3	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (एम. एंड आर.) द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।
बिंदु सं. 4	केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तथा इस संबंध में कोई नियम/आदेश उपलब्ध नहीं है । प्रसंगवश उल्लेख किया जाता है केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की सुनवाई उनके प्राप्त होने की तिथि के अनुसार वरीयता क्रम में की जाती है ।
बिंदु सं. 5	सूचना अधिकार अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के तहत मामले की सुनवाई एवं सूचना आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाती है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष – 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कु शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690

1	श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (एम. एंड आर.) केन्द्रीय सूचना आयोग ।	बिंदु सं. 2	उक्त आवेदन दिनांक 01.06.2018 को आर.टी.आई.-एम.आई.एस. के द्वारा ऑलाइन अग्रसारित किया जा चुका है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।